‘Detective’ 2021

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाज़ियाबाद

CENTRAL DETECTIVE TRAINING INSTITUTE, GHAZIABAD

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT, MHA, GOVT. OF INDIA,

संपादक मण्डल

मुख्य संरक्षक	:	श्री अम्बर किशोर झा, भा.पु.से. निदेशक, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाज़ियाबाद
संरक्षक	:	श्री विरेन्द्र कुमार, उप-प्राचार्य केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाज़ियाबाद
संपादक	:	श्री बीरेन्द्र कुमार, हिंदी प्रभारी अधिकारी
सहसंपादक	:	श्रीमती इन्दिरा कौशिक, वरिष्ठ निजी सचिव
समन्वय	:	श्रीमती प्रियंका रावत, निरीक्षक
सहायक	:	कु. रचना, आशुलिपिक

नोट - इस पत्रिका में प्रकाशित की गई रचनाएं और विचार लेखको के द्‌वारा उनके व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए गए है | रचना की मौलिकता व अन्य किसी विवाद के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होंगे |

Ambar Kishor Jha, IPS
Director

From The Director's Desk

It gives me immense pleasure that Central Detective Training Institute, Ghaziabad is publishing annual magazine for the year 2021.

CDTI, Ghaziabad is imparting training to Police Officers of the rank of SI to Addl.SP from the States of Uttar Pradesh, Delhi, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Bihar and Chhattisgarh etc. besides training of CAPFs Officers. This training institute has also been declared "Center of Excellence on Counter Terrorism and related issues". Since laws of the land are changing from time to time, this institute has conducted special online training programme for Ladakh Police Officers with a view to bring awareness about the IPC, CrPC and Indian Evidence Act which were earlier not applicable in J&K and Ladakh.

This magazine contains articles related to The Dark Market and New Face of Police during Corona Crisis They are interesting and informative in the contemporary age which will certainly benefit the readers.

Till the end of year 2020 this institute has trained 7771 Police Officers including 84 trainees from the foreign countries viz Myanmar, Nepal, Malawi, Sri Lanka and Afghanistan. CDTI Ghaziabad has been the pioneer in starting online training for police officers during Covid-19 pandemic.

I would like to thank the authors for devoting valuable time to research and write these articles and the officers of CDTI Ghaziabad for painstakingly following up, compiling, editing and publishing them.

I am confident that CDTI, Ghaziabad will continue to make its efforts to the above mentioned endeavors and would excel in all fields of training in future.

(Ambar Kishor Jha)
Director

संपादक का संदेश

'डिटेक्टिव' पत्रिका का वार्षिक अंक 2021 में विभिन्न लेखकों द्वारा प्रेषित की गई रचनाएं एवं विभिन्न गतिविधियों का प्रकाशन करने में मुझे अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है |

इस पत्रिका के माध्यम से सरकारी कार्मिकों को उनके रचनात्मक लेखों को विकसित करने का सुनहरा अवसर भी मिलता है जोकि सबके लिए ज्ञानवर्धक है |

मुझे आशा है कि इस संस्थान की 'डिटेक्टिव' पत्रिका पुलिस कर्मियों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी, यह मेरी शुभकामना है |

बीरेन्द्र कुमार
संपादक
हिंदी प्रभारी अधिकारी

INDEX

Page No.

- As A Good Trainer One Must Hone Training Skills From Time To Time 6
- The Dark Market – An Untraceable Marketplace 10
- Public Relations Campaign & Image Building Exercise 17
- पुलिसिंग में एन.जी.ओ. की भूमिका 18
- कोरोना संकट ने दिखाया पुलिस का नया चेहरा 27
- आवाज विश्लेषण; वॉइस एनालिसिस परीक्षण 30

As a good trainer one must hone training skills from time to time

Birendra Kumar
HT,CDTI, Ghaziabad

As the trainer, responsible for helping others to learn, you may not always be the subject matter expert. Sometimes your learners may know as much as you, or have as much or more experience than you on certain topics. Often you will be helping highly experienced, mature people who are more likely to respond to an organized exchange of ideas and opinions, rather than to being told or taught. In such a situation you may choose a method that facilitates learning by experience sharing and cross fertilization of ideas. The Glossary of Training Terms defines the discussion method as important factor for training. Therefore, as a good trainer one must hone training skills from time to time as discussion related to training matter is also a part of training skill. While imparting training, discussion should be used more for sharing experience, encouraging and developing thinking, modifying attitudes and getting commitment. A discussion for training purposes allows individuals to express their concerns and ideas, and to build upon and develop the ideas of group members. We use the method to continue a learning process started by other training methods, such as case studies and group discussion. The purpose of the discussion may be related to:

* Share views
* Collect and generate ideas
* Obtain reactions and agreement.
* Develop team work
* Solve problems
* Develop decision-making skills
* Change attitudes
* Consider practical application of theory
* Develop evaluative and synthesizing skills
* Stimulate motivation and commitment

To be effective, discussion must allow every member of the group to contribute. This means that there is a limit to the number of people who can participate in a discussion. Between eight and twelve participants is about the optimum number for effective learning. If there are more members, a discussion may be unwieldy, and if there is less they may not stimulate sufficient ideas for a useful discussion.

THE STRUCTURE OF A DISCUSSION IS AS UNDER:

A) INTRODUCTION
B) KEY QUESTION
C) DISCUSSION
D) SUMMARY

The discussion begins with a brief introduction from the leader. This should settle the group, establish the topic for discussion, and stimulate interest and willingness to participate in the discussion. We should plan the introduction before the discussion.

After the introduction, the group need a thought-provoking and demanding question that will make them think and want to contribute. We call such a question a Key Question. The first Key Question is critical to the success of the discussion. It needs to be considered beforehand and carefully prepared to:

* Introduce the subject.
* Explain the purpose and reason for the discussion.
* Link the discussion to prior learning experiences.
* State the objective, if appropriate.

After the leader has posed the Key Question, discussion takes place within the group. You will be involved in that discussion actively listening and occasionally making contributions, depending upon the needs of the group. When we have extracted the learning benefits from the first key question, the group moves on with another key question.

At the end of discussion the discussion leader should summarise what has come out of the contributions and the conclusions reached, if any. Summarizing it between key Questions to consolidate may also be helpful and clarify what has been said and to lead into the next key Question. This is a matter of judgment and will depend on the circumstances. Sometimes, for example, a group member will make a statement that summarise several earlier contributions: a summary from the leader is then unnecessary

PREPARING TO LEAD A DISCUSSION

As with all learning events, preparation is important. The better the preparation the more confident you can feel as the discussion leader. Also, the more learning is likely to take place for your learners.

Preparing for a discussion
* Set an objective
* Analyse the topic
* Consider the group
* Identify and prepare Key Questions
* Decide if any other resources would be helpful, e.g. flipchart etc.
* Organise physical arrangements

The discussion method is generally more appropriate for objectives that deal with feelings, opinions and attitudes. Of necessity these are less precise than objectives dealing with facts or skills. The outcome is less predictable and controllable than say, the outcome of a lecture. The details of the content come from the group and it is less easy to control them when using other methods. Success in achieving the objective is also less easy to measure.

Examples of objectives for discussion leading are:
1. "Group members can describe the role of a leader in a management role"
2. "Participants can analyse the difficulties in conducting audits"
3. "Group members will identify the impact of word processors on their jobs"

The benefit of producing an objective is that it helps you focus on what the discussion is to achieve. You can get people to talk about most things. To use the discussion of a topic to achieve a specific learning objective makes the investment of time and effort worthwhile.

IDENTIFY AND PREPARE KEY POINTS/QUESTIONS

Having analysed the topic and considered the sequence you can probably identify most key points to be discussed. In a perfect discussion the leader would introduce each Key Point with a key Question. The Key Question would then stimulate sufficient relevant discussion within the group to cover completely the Key Point. The discussion leader would not need to intervene to bring the discussion back because the question would succeed in focusing attention entirely upon the Key Point. Once the Key Point is covered, you can summarise and move on to another Key Point. This should be introduced with another Key Question.

This model of a perfect discussion infers that the Key Question has been effective in stimulating interest, focusing attention and encouraging everyone to contribute. Key Questions need to be carefully thought out and planned. They must make the group think and use their experience. The wording of a question should not be threatening to individuals in the discussion group. There should not be any easy answer to a key Question's and while answering, it should raise other issues that will stimulate further discussion. The group themselves may develop other questions that cover the points identified by the leader. This is good in that it reduces the need for interventions by the leader and increases the confidence and ownership of the group. This is all possible if a trainer hones his skills in the relevant field of training from time to time.

****

Sanjay Mishra
Cyber Crime expert

The Dark Market – An Untraceable Marketplace

Darknet Markets Explained

Darknet markets' mainstay is the sale of illegal drugs. The Economist reported that about $180 million worth of drugs were sold through darknet markets in 2015. These online marketplaces have user review systems similar to e-commerce sites like eBay and Amazon. Sellers who deliver the goods as promised receive higher ratings and are rewarded with a better reputation over time. Darknet markets provide resources for sellers and buyers on how to get the products through the mail, including what supplies are needed to disguise shipments and techniques to foil detection.

The amended IT Act, 2008 describes the Indian Computer Emergency Response Team (CERT In) as the designated national agency to perform all important functions in the area of Cyber Security. Rendering advice on proactive cyber activities also forms a part of the charter of the CERT In. Important virus alerts are issued by this organization: on 25 Feb 2016, the CERT In issued a notification regarding the existence and modus operandi of a virus named Ransomeware Locky which is injected through spam mails. It encrypts the files of the victim, and demands payment through Bitcoins for their de-cryption.

In 2011, the Indian Government created a new subdivision, the National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) to protect energy, transport, banking, telecom, defence, space and other sensitive areas. India now has its first National Cyber-Security Coordinator (NCSC), a position created to coordinate among all cyber agencies in the country. Experts are being recruited for cybersecurity research and development work. A few IITs could also become Centers of Excellence for cybersecurity technology development.

Prime Minister Narendra Modi on 01 March 2015 advised the National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) to create a Cyber Security Task Force (CSTF), with the aim to develop and provide cyber security solutions to the Indian and global markets. Consequently, NASSCOM along with the Data Security Council of India (DSCI) created a task force comprising of leaders from the IT industry, security product companies, and enterprises like banking, telecom, energy sector and senior officers from the government. The vision of the task force is to build the cybersecurity industry up from the current one percent to ten percent by 2025, build a trained base of one million certified and skilled cybersecurity professionals and come up with more than a hundred successful security product companies from India, thus making it a global leader in the cybersecurity space by 2025. Several other private initiatives and blogs such as Perry4Law are also contributing to cybersecurity in India.

But, different manifestations of the darknet that have come into existence in recent years as a system, the darknet is subject to a variety of attacks. Legal action continues to be the most powerful challenge to the darknet. However, the darknet is also subject to a variety of other common threats (e.g. viruses, spamming) that, in the past, have lead to minor disruptions of the darknet, but could be considerably more damaging. We have to consider the potential impact of legal developments on the darknet. Most of our analysis focuses on system robustness, rather than on detailed legal questions.

The persons who copy objects will be called users of the darknet, and the computers used to share objects will be called hosts.

The idea of the darknet is based upon three assumptions:

1. Any widely distributed object will be available to a fraction of users in a form that permits copying.
2. Users will copy objects if it is possible and interesting to do so.
3. Users are connected by high-bandwidth channels.

Darknet Market Products

In addition to drugs, which includes prescription pharmaceuticals as well as illegal drugs, darknet markets offer a wide range of products and services. Some markets refuse to sell weapons or poisons, but many list stolen information, illegal services like hacking for hire, pornographic content, and more. Some of the listings and even entire marketplaces are scams, aimed at separating hidden buyers from their bitcoins, so users have curated separate ratings of the darknet markets themselves.

The darknet is the distribution network that emerges from the injection of objects according to assumption 1 and the distribution of those objects according to assumptions 2 and 3.

One implication of the first assumption is that any content protection system will leak popular or interesting content into the darknet, because some fraction of users--possibly experts–will overcome any copy prevention mechanism or because the object will enter the darknet before copy protection occurs.

The term “widely distributed” is intended to capture the notion of mass market distribution of objects to thousands or millions of practically anonymous users. This is in contrast to the protection of military, industrial, or personal secrets, which are typically not widely distributed and are not the focus of this paper.

To operate effectively, the darknet has a small number of technological and infrastructure requirements, which are similar to those of legal content distribution networks. These infrastructure requirements are:

1. Facilities for injecting new objects into the darknet (input)
2. A distribution network that carries copies of objects to users (transmission)
3. Ubiquitous rendering devices, which allow users to consume objects (output)
4. A search mechanism to enable users to find objects (database)
5. Storage that allows the darknet to retain objects for extended periods of time. Functionally, this is mostly a caching mechanism that reduces the load and exposure of nodes that inject objects.

The darknet which constitute the darkweb include small, friend-to-friend peer-to-peer networks, as well as large, popular networks like Freenet, I2P, and Tor, operated by public organizations and individuals. Users of the darkweb refer to the regular web as the Clearnet due to its unencrypted nature. The Tor darkweb is often referred to as onionland, a reference to the network's top level domain suffix.onion and the traffic anonymisation technique of onion routing.

A large number of services provided by the darkweb are tabulated below.

Category	Percentage
Gambling	0.4
Guns	1.4
Chat	2.2
New	2.2
Abuse	2.2
Books	2.5
Directory	2.5
Blog	2.75
Porn	2.75
Hosting	3.5
Hacking	4.25
Search	4.25
Anonymity	4.5
Forum	4.75
Counterfeit	5.2
Whistleblower	5.2
Wiki	5.2
Mail	5.7
Bitcoin	6.2
Fraud	9
Market	9

The dramatic rise in the efficiency of the darknet can be traced back to the general technological improvements in these infrastructure areas. At the same time, most attempts to fight the darknet can be viewed as efforts to deprive it of one or more of the infrastructure items. Legal action has traditionally targeted search engines and, to a lesser extent, the distribution network. The drive for legislation on mandatory watermarking aims to deprive the darknet of rendering devices. We will argue that watermarking approaches are technically flawed and unlikely to have any material impact on the darknet. Finally, most content protection systems are meant to prevent or delay the injection of new objects into the darknet. Based on our first assumption, no such system constitutes an impenetrable barrier, and we will discuss the merits of some popular systems.

We see no technical impediments to the darknet becoming increasingly efficient (measured by aggregate library size and available bandwidth). However, the darknet, in all its transport- layer embodiments, is under legal attack.Lack of endpoint anonymity is a direct result of the globally accessible global object database, and it is the existence of the global database that most distinguishes the newer darknets from the earlier small worlds. At this point, it is hard to judge whether the darknet will be able to retain this global database in the long term, but it seems seems clear that legal setbacks to global-index peer-to-peer will continue to be severe.

The Demise of Silk Road

Before it was shut down in 2013, Silk Road was the most popular darknet market. Others like Agora and Evolution filled the vacuum left by Silk Road after it was shut down through the efforts of the U.S. government. Since then, new decentralized marketplaces have started popping up, making it harder to shut down a darknet market by targeting a specific batch of servers. Sellers have also opened their own online shops in the dark web, allowing customers to buy from them directly. While there are risks of a shutdown, these single vendor sites are seen as a smaller priority for law enforcement in comparison to the larger marketplaces.

Although enforcement efforts continue to target the darknet markets and the shipping of illegal products, these markets continue to grow due to the technical difficulties encountered in actually tracking down the buyers and sellers.

The cybersecurity policy of India, issued in 2013, outlines a mission to protect information and infrastructure in the cyberspace, build capabilities to prevent and respond to cyber- threats, reduce vulnerabilities and minimise damage from cyber-incidents through a combination of institutional structures, people, processes, technology and cooperation.

Issue

The darknet is a network of websites that can be accessed only via special software that hides the details of the user's connection, and also allows websites to be hosted without revealing their location or operator. The vast majority of such 'hidden services' use the Tor anonymous network torproject.org developed and operated by volunteers as a tool for freedom of expression and access to the internet under restrictive regimes. In addition, however, the Tor network also allows the hosting of illegal marketplaces, most famously the "Silk Road" - an eBay-style marketplace for drugs and other illicit goods that, at its peak in 2012, was processing an estimated $15 million in transactions annually. Whilst the original Silk Road was shut down by law enforcement in October 2013, numerous similar markets opened in its wake. Today, large-scale darknet marketplaces exist for illegal drugs, firearms, hacking tools, stolen identity documents, and a wide variety of other illicit goods. These marketplaces typically make use of cryptocurrencies such as Bitcoin or Monero that allow decentralised electronic transactions whilst being hard to trace for law enforcement. The untraceable nature of darknet marketplaces protect both buyers and sellers from action by law enforcement. Despite this, there have been a number of high-profile shutdowns of marketplaces, with seizure of computers and the arrest of operators, as well as numerous scams in which untraceable marketplace owners have closed marketplaces and absconded with significant amounts of untraceable funds. However the ease of use of such markets, the range of products, and the relatively low risk faced by both buyers and sellers from law enforcement have made them an attractive choice for a range of illegal goods. The darknet has not, to date, proven to be a particularly attractive platform for the buying and selling of illegal products.

Despite this, the darknet provides a 'marketplace of last resort' that becomes increasingly attractive over other, more accessible, online services as law enforcement and platform operators enforce policies against trading in illegal wildlife products. This makes the ongoing study of darknet markets an important avenue for research as other policies against online illegal wildlife trading emerge.

Recommendations

The darknet is characterised by substantial turnover of marketplaces, many of which last less than a year before being shut down. A key recommendation is to maintain the ongoing capacity to track emerging markets, the geographic locations that they serve, and the range of products on offer. Whilst many such marketplaces use off-the-shelf auction software, each requires manual effort to automate 'scraping' tools that monitor transactions, ongoing effort. An attractive feature of darknet markets for investigators is that the level of untraceability given by the underlying technologies makes them both relatively easy to scrape in their entirety, and largely public in the products that are offered. As such, darknet markets provide a potentially attractive means to understand shifts in consumer behaviour without the necessity of accessing closed social-media groups or forums. Monitoring the products available, and the prices at which they sell, is a second recommendation. The darknet has significant potential for the illegal wildlife trade, despite the current low volumes shown in recent studies. With increasing adoption of technologies such as cryptocurrencies, however, and growing international enforcement efforts to prevent the trade in illegal wildlife products, the darknet is a proven venue for both high- and low-value illicit products.

PUBLIC RELATIONS CAMPAIGN & IMAGE BUILDING EXERCISE

Birendra Kumar
HT, CDTI, Ghaziabad

Security forces are working round the clock with high sense of duty, hard work, and dedication towards service with loyalty, surrender and sacrifice. But good work done and achievements made by them are not high-lighted promptly on day to day basis before print and electronic media due to one reason or another. The reason is absence of proper and regular dissemination mechanism so interface with the media is essential. In any organization PR man has a catalytic role for projecting the good image of the organization. He should have the good flavor for writing the Press notes, Handouts, Curtain raiser, leaflets etc for projecting the various activities of the force including operational achievements for the common public.

During celebration of various anniversaries, organizing workshops, seminars, symposia, raising day celebration etc media person may be invited by PR man for coverage of the function in order to project the good image in the press for inner and outer publics. Publicity strategy may be made in advance by the P.R.O. which should be occasion specific, subject specific, force specific and time specific. In case of adverse or wrong reporting by the media which tarnishes the image of an organization, necessary efforts may be made by the P.R. man to counter act the negative image of the force through the print and electronic media.

On the occasion of any function or event there should be indirect publicity through interviews with the visiting officers and steps should be taken by the P.R. man for speedy dissemination of news of exceptional achievements. For good image building of any organization, good rapport with media is a must because media is the eye, ear and nose for the common public being fourth pillar of democracy. Thus, in the absence of good PR campaign or rapport, image of any organization is incomplete before the inner and outer publics.

पुलिसिंग में एन.जी.ओ. की भूमिका

The Role of NGOs in Policing

Maneesha Pathak Soni
Additional SP
Indore (MP)

भारतीय पुलिस के वर्तमान स्वरूप का जन्म ब्रिटिश उपनिवेश काल की देन है और यही कारण है कि पुलिस के कई नियम उपनियम उसे पीड़ित की जगह सरकार या व्यवस्था के साथ प्रतिबद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं |

देश में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही पुलिस से यह अपेक्षा भी बढ़ गई थी कि पुलिस, समुदाय, समाज और नागरिकों के लिए काम करे, किन्तु पुलिस का संगठन, उसकी प्रक्रियाएं और संस्कृति प्रायः बाहरी व्यक्तियों को पुलिस कार्य में जोड़ने में उतनी सक्षम नहीं रही है | यद्दपि समय के साथ खुली सोच वाले अधिकारियों के पुलिस में प्रवेश होने और जनता की निरंतर मांग होने से सामुदायिक पुलिसिंग के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा है | हालांकि अभी भी किसी भी प्रदेश की पुलिस संरचना में सामुदायिक पुलिसिंग की शाखा एक सामान्य शाखा मात्र के तौर पर है उसे प्रमुखता का स्थान अभी मिलना शेष है |

लोकतांत्रिक ढाँचे में पुलिस से जो अपेक्षाएं की जाती हैं वह सामुदायिक पुलिसिंग और अशासकीय संस्थाओं के साथ पुलिस के जुड़ने से ही संभव हो सकेंगी |

यदि हम यह जानें कि देश में कितनी अशासकीय संस्थाएं वर्तमान में कार्यरत हैं तो हम सब आश्चर्यचकित हो जायेंगे | देश में लगभग 3.4 मिलियन अशासकीय संस्थाएं हैं जो कि स्कूलों की संख्या से लगभग दोगुनी है और निश्चित तौर पर पुलिस थानों की संख्या से कहीं ज्यादा होंगी |

पुलिसिंग के कार्य में अशासकीय संस्थाओं के योगदान और भूमिका को इस प्रकार देखा जा सकता है -

1- कानून बनाने में भूमिका
2- अपराध की रोकथाम में भूमिका
3- अपराध की विवेचना में भूमिका
4- अपराध के विचारण के दौरान भूमिका
5- पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास के संबंध में भूमिका
6- आरोपी के पुनर्वास के संबंध में भूमिका

1. कानून बनाने में भूमिका -

देश में अनेक ऐसी अशासकीय संस्थाएं कार्यरत हैं जिनका कार्य लीगल हेल्प या सपोर्ट प्रदान करना होता है जिसमें प्रमुख रूप से पीपुल्स युनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपुल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, लीगल एड सर्विसेज ऐसे नाम है जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से जन सामान्य के हित के मुद्दों को रखा और अनेक ऐसे कालजयी निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए जिनसे न केवल नए कानूनों का प्रादुर्भाव हुआ बल्कि लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासकीय तंत्र को बाध्य होना पड़ा |

इनमें प्रमुख नाम श्री डी.के.बासु केस है जो एक एनजीओ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें मानव अधिकारों की रक्षा, व्यक्ति की गरिमा और जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा जैसे मुद्दों पर माननीय न्यायालय ने गिरफ्तारी के अनेक कड़े नियम बनाए और अंततः दंड प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं में संशोधन किए |

इसी प्रकार विशाखा गाइडलाइन्स से ही कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण निवारण अधिनियम का प्रादुर्भाव हुआ | निर्भया प्रकरण के बाद विभिन्न जनहित याचिकाओं और एनजीओ के प्रयासों से कानून में अनेक प्रभावी परिवर्तन किए गए |

जब कोई नया कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है तो उसके प्रारूप पर जनता और विशेषज्ञों से राय आमंत्रित भी की जाती है ऐसी स्थिति में अशासकीय संस्थाएं बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती रही हैं |

2- अपराध की रोकथाम में भूमिका

अपराध की रोकथाम के कई पहलू हो सकते है जिनमें -

a. जनता को जागरूक करना
b. पुलिस को अधिक दक्ष बनाना
c. गैप फिलिंग - जनता और पुलिस के बीच के गैप या दूरी को कम करना
d. परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना
e. प्रायश्चित और सुधार के अवसर उपलब्ध कराना
f. आसूचना का संकलन करना और
g. सामाजिक आर्थिक विकास का साधन बनना हो सकता है

जन जागरूकता की बात की जाए तो अशासकीय संस्थाओं से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि यह स्थानीय लोगों से बनी हुई संस्थाएं ही होती हैं इसलिए जनता का इनके प्रति विश्वास और जुड़ाव अधिक होता है | इनके द्वारा बताई गई बात को लोग अधिक अपनेपन और गंभीरता के साथ सुनते हैं क्योंकि यह उस क्षेत्र से जुड़े होते है तो वहां की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं | ऐसे में विभिन्न प्रकार की जन जागृति की गतिविधियाँ चलाने के लिए पुलिस को अशासकीय संस्थाओं का सहयोग मिल सकता है |

इनके लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा करना अधिक आसान है क्योंकि इनके साथ लोगों का जुडाव अधिक होता है वही इनका प्रशिक्षण देने का तरीका पुलिस से भिन्न और रूचिकर होता है | अशासकीय संस्थाओं के अधिकांश सदस्य जनता से ही आते है इसलिए जन भावना और जन की भाषा को बेहतर तरीके से समझते हैं क्योकिं इनमें से कई लोग मास्टर ऑफ सोशल वर्क डिग्री धारी होते हैं तो वह पुलिस की तुलना में सोशल वर्क के लिए अधिक दक्ष होते हैं | उनकी प्रशिक्षण प्रविधियां पुलिस से बेहतर होती है और उनका संवाद कौशल भी इस प्रशिक्षण में उन्हें बेहतर बनाता है | भिन्न-भिन्न ग्रुप से आने के कारण मटेरियल की डिजाइनिंग हो या रिसोर्सेज की व्यवस्था हो, बजट हो, मास कम्युनिकेशन हो या नए आइडियाज हों, इन सभी में अशासकीय संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है |

पुलिस की दक्षता का विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है | बदलते समय की चुनौतियों के सामने पुलिस का सदैव ही अधिक योग्य और दक्ष होना, समय की मांग है | पुलिस को न केवल तकनीकी रूप से दक्ष होना है बल्कि व्यावहारिक रूप से भी अधिक कुशल होना है | अशासकीय संस्थाएं वह एजेंसीज हैं जो स्वयं आकर पुलिस को प्रशिक्षण प्रदान कर सकती हैं | इनका प्रशिक्षण कौशल प्रायः पुलिस अधिकारी के प्रशिक्षण से उच्चतर स्तर का हो सकता है क्योंकि इनमें से कई का कार्य मूलतः प्रशिक्षण देना ही होता है | फिर चाहे यह प्रशिक्षण किसी कानून की बारीकी समझने के लिए हो या पुलिस के कार्यो की S.O.P और मैनुअल की डिजाइनिंग का हो या पुलिस के स्टाफ को अधिक तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए हो सभी स्तरों पर अशासकीय संस्थाएं प्रभावी रूप से प्रशिक्षण दे सकती हैं | इनकी विशेषज्ञता सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस या तनाव प्रबंधन/समय प्रबंधन, पुलिस के जीवन में मैनेजमेंट स्किल्स या प्रबंधन कौशल का उपयोग जैसे विषय भी हो सकते है |

इसके अलावा अशासकीय संस्थाएं कई बार पुलिस स्टाफ को और अधिकारियों को अपने यहाँ स्थानीय कार्यक्रम आयोजित करके विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाती हैं जिससे पुलिस का जनता और बच्चों से संपर्क एक सुखद सहज वातावरण में हो पाता है, जो किसी पुलिस कार्यालय में संभव नहीं होता है और थाने में तो कदापि नहीं |

वहीँ पुलिस के समक्ष यह एक विकट समस्या होती है कि दैनंदिन कार्यों के बोझ से हमारा जवान इतना दबा हुआ होता है कि उसे प्रशिक्षण के लिए न तो आवश्यकता का अनुभव होता है और न ही उसे ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से वह तैयार हो पाता है | ऐसी स्थिति में अशासकीय संस्थाओं के प्रशिक्षण देने के लिए रूचिपूर्ण तरीके से ही उनके अन्दर प्रशिक्षण की या ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा को पैदा किया जा सकता है | कई बार पुलिस इकाइयां उपने स्तर पर कार्यक्रम कराना चाहती है लेकिन थानों से लोग इकट्ठे हो पाना मुश्किल होता है ऐसे में ये संस्थाएं थाने पर या कार्यस्थल पर जाकर ही ऑन जॉब ट्रेनिंग भी अच्छी तरह से दे सकती हैं |

पुलिस और जनता के बीच की दूरी को अगर कोई कम कर सकता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम अशासकीय संस्थाओं का ही होगा | इनके प्रति जनता में विश्वास होता है | एनजीओ स्थानीय लोग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों और पृष्ठभूमि को पुलिस की तुलना में बेहतर जानते हैं | इन्हें क्षेत्र की जानकारी होती है | क्षेत्र से जुड़े लोगों की और संसाधनों की जानकारी भी इनके पास होती है |

किसी भी घटनाक्रम को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना आवश्यक होता है जिसमें एनजीओ ही मदद कर सकते हैं | पुलिस के लिए क्षेत्र के भूगोल, राजनीति, संस्कृति, वहां के विश्वास, आर्थिक-सामाजिक गतिविधियाँ, पर्यावरण, जंगल, खेती इन सब को समझना आवश्यक है और यदि नए अधिकारी अपने स्तर पर इनको समझने का प्रयास करें तो उन्हें कई साल लग जाएंगे वहीँ थाने के स्टाफ से समझने का प्रयास करें तो कुछ सीमित ही जानकारी अर्जित होगी | यह जो अशासकीय संस्थाएं है, सहज भाव में ही अनेक तरह की जानकारियां उपलब्ध करा देती हैं |

उदाहरण के लिए क्षेत्रीय राजनीति या संस्कृति में होने वाले कुछ कार्यक्रम जो पुलिस की नजर में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती होते हैं और पुलिस उन्हें अपने तरीके से निपटाना चाहती है लेकिन जन भावनाओं के जुड़े होने के कारण उनको निपटाने का तरीका कुछ भी होना चाहिए ऐसी स्थिति में अशासकीय संस्थाओं की मदद बहुत उपयोगी हो सकती है |

3- अपराध की विवेचन में भूमिका

यदि पुलिस विवेचना की बात की जाए तो अपराध की विवेचना में हर चरण पर अशासकीय संस्थाओं का बेहतर उपयोग किया जा सकता है | विशेष रूप से महिला और बच्चों संबंधी अपराधों में |

उनकी भूमिका मुखबिर के तौर से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ जाने, घटनास्थल पर साक्षी और पीड़िता से बात करने, पीड़ित का भरोसा कायम करने, पुलिस के व्यवहार को संयत बनाने, जब्ती में उचित कार्यवाही सुनिश्चित कराने, साक्षी को मदद करने, सहारा देने में हो सकती है | विशेष रूप से जब पीड़िता के पास रहने के लिए कोई स्थान ना हो या उसके मेडिकल की व्यवस्था करनी हो तो पीड़िता व साक्षी के आवास, भोजन और पुनर्वसन में ये संस्थाएं अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है |

बाल कल्याण समिति के द्वारा बालक/बालिका के पुनर्वसन के लिए जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है उसमें भी अशासकीय संस्थाएं अच्छा कार्य कर सकती है |

4 - अपराध के विचरण के दौरान भूमिका

अपराध की विवेचना के पश्चात् पुलिस के द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है और प्रायः अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली जाती है | वहीं यदि अशासकीय संस्थाओं को इस प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए तो आगे की भूमिका वे बेहतर तरीके से निभा सकती हैं और पुलिस के कार्य को अधिक दूरी तक या सीमा तक प्रभावी बना सकती हैं | साक्षी अपनी बात पर टिका रहे या समय के साथ किसी प्रलोभन अथवा दबाव या नासमझी का शिकार ना हो जाए, इसके लिए निरंतर फॉलोअप लेना जरूरी होता है | पीड़िता को Revictimisation से बचाने के लिए उसकी और परिवार की काउंसलिंग निरंतर या बार-बार करनी होती है | उनके भरोसे को बनाए रखने के लिए उनसे बार-बार मिलना होता है | पीड़िता/साक्षी का पता बदल जाने पर उसे खोजना होता है | इन सब चीजों में पुलिस के लिए संस्थाएं मित्र के तौर पर मदद कर सकती है |

इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत एनजीओ की भूमिका को वैधानिक स्थिति भी प्रदान की गई है -

ITPA Legal Status of NGOs

- Advisory Body – u/s 13 (3)(b)
- Accompany Police During Search – u/s 15(2)
- Interview Rescued Persons – u/s 15 (6A)
- Home Verification – u/s 17 (2)
- Advise Magistrate for Rehabilitation – u/s 17(5)
- Safety for bonafide work – u/s 15(6)

5. पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास के संबंध में भूमिका

अधिकांश शेल्टर होम अशासकीय संस्थाओं द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं | एनजीओ सखी सेंटर या 'One Stop Center' के संचालन में भी सक्रिय भूमिका निभा सकते है |

अपराध दर्ज होने से पहले आवेदक या पीड़ित के परामर्श और उसके परिवार के साथ बातचीत में अशासकीय संस्थाएं बेहतर कार्य कर रही हैं | सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलने वाले बच्चों और महिलाओं को तात्कालिक राहत देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है | लंबे समय की राहत के लिए यह जरूरी है कि महिला के पास आर्थिक साधन भी उपलब्ध हों इसके लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना और प्लेसमेंट कराना जैसे कार्य भी एनजीओ द्वारा किए जा रहे है | पीड़ित की स्थिति और भविष्य को बेहतर करने के लिए उसके तनाव प्रबंधन और मनोरंजन के लिए अशासकीय संस्थाओं से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता है | वस्तुतः पीड़ित को मिलने वाला न्याय केवल आरोपी को सजा दिला देने तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि उसके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करना भी होना चाहिए यही लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य की मूलभूत भावना है |

6. आरोपी के पुनर्वास के संबंध में भूमिका-

सोचने में अजीब लगता है कि पुलिसिंग में आरोपी के परामर्श का क्या तात्पर्य है | जब आरोपी एक किशोर या बालक हो तो उसका परामर्श ही किया जाना होता है अर्थात विधि विवादित बालक के परामर्श करने के लिए अशासकीय संस्थाओं को बाल कल्याण समिति द्वारा

निर्देशित किया जा सकता है | घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सामान्य प्रकरणों में भी घर और परिवार को बचाए रखते हुए, आपसी विश्वास को बनाए रखते हुए, पीड़ित के हितों की रक्षा के लिए आरोपी या अनावेदक पक्ष को समझाना, अशासकीय संस्थाओं के द्वारा अच्छी प्रकार किया जा सकता है | जब बात वरिष्ठ नागरिकों की हो तो उनके नातेदार या बेटे-बहू / बेटी-दामाद ही आरोपी की श्रेणी में आ जाते हैं ऐसे में अपराध दर्ज करने की बजाय उनके लिए आपसी बातचीत और परामर्श के लिए सुलह संस्थाएं या अशासकीय संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती है |

जेल या सुधारात्मक सेवाएं विभाग के द्वारा भी निरूद्ध कैदियों के मानसिक और सांवेगिक विकास के लिए अशासकीय संस्थाओं की सहायता ली जा रही है | विशेष रूप से योग एंव ध्यान के द्वारा मन को स्वच्छ निर्मल बनाने और अपराध से विमुख होने के लिए इनका प्रशिक्षण प्रभावी सिद्ध हुआ है |

ध्यान रहे -----

अशासकीय संस्थाओं व पुलिस के जुड़ाव से पुलिस का काम हल्का लेकिन मजबूत हो जाता है पर वही कई बिंदु ऐसे भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि यह लोकल या स्थानीय लोग होते हैं तो इनके अपने एजेंडा भी हो सकते हैं | कई बार यह किसी राजनैतिक या सांप्रदायिक विचारधारा से प्रेरित भी हो सकते हैं और लंबे समय तक इनके साथ काम करते रहने से पुलिस अधिकारी के विचारों को प्रभावित भी कर सकते है | अन्य कई अतिवादी विचारधारा के भी हो सकते है जो संगठन या व्यवस्था के विरूद्ध ही कार्य और व्यवहार करते हैं | इनके कार्यो से मीडिया में प्रभाव अधिक पड़ता है इसलिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इनमे कितना संपर्क रखा जाए | कभी-कभी कुछ अशासकीय संस्थाएं कानून और व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित किया करती हैं | वहीं विदेश से धन या अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के बारे में भी गोपनीय आसूचना संकलन नियमित रूप से किया जाना चाहिए | अशासकीय संस्थाएं शासन से या विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से मिलने वाले अनुदान के उपयोग के आधार पर कार्य करती हैं ऐसे में अंदर भ्रष्टाचार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है | लैंड एन्क्रोचमेंट या भूखंड पर कब्ज़ा करने की प्रवृत्ति भी कई बार देखी गई है और कुछ संस्थाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो सिर्फ बातें ही करती हो और काम के लिए उपयोगी ना हो |

तो एक अच्छे पुलिस अधिकारी को यह देखना होगा कि उससे जुड़ने वाली अशासकीय संस्थाओं का क्या इतिहास रहा है | उसके सदस्य कौन और किस प्रकार के लोग है | वह किस संगठन से जुडी हुई है | बजट आदि की व्यवस्था कहाँ से होती है आदि |

इस प्रकार, संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि यदि छोटी-मोटी बातों का ध्यान रखा जाए और पुलिस अधिकारी सतर्क हो तो अशासकीय संस्थाओं को अपने अतिरिक्त हाथ और आँख के तौर पर उपयोग में ला सकते हैं | जहाँ पुलिस की पहुँच नहीं हो सकती वहां पर अशासकीय संस्थाएं बड़ी आसानी से पहुँच सकती हैं | इसी प्रकार पुलिस संगठन में जहाँ जनता की पहुँच नहीं है वहां भी जनता की बात को पुलिस तक पहुंचाने में मदद कर सकती है | वर्तमान में मध्यप्रदेश में महिला ऊर्जा डेस्क के साथ में शक्ति समितियों का गठन भी किया गया है जो कि ऐसे क्षेत्रों में कार्य कर रही है जहाँ महिलाओं के प्रति अन्याय या हिंसा के केस बड़ी संख्या में आते हैं | इनके कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के कारण निश्चित तौर पर क्षेत्र की महिलाओं का भरोसा पुलिस के प्रति बढ़ा हुआ दिखाई देता है | अभी JPAL Institute & Oxford Students द्वारा इस विषय पर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर रिसर्च की जा रही है और निश्चित ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे |

*****

Communal Harmony Campaign Week

Central Detective Training Institute, Ghaziabad under the aegis of Bureau of Police Research and Development observed Communal Harmony Campaign Week w.e.f. 19th to 25th November, 2020 at its campus. Besides the series of programmes, 25th November, 2020 was also observed as Flag Day. All officers and staff voluntarily contributed their financial donations for Communal Harmony and National Integration and distributed Flag stickers to all for noble cause. Shri Ambar Kishor Jha, IPS, Director of the Institute highlighted the significance of the events and inspired all for noble reason.

<u>कोरोना संकट ने दिखाया पुलिस का नया चेहरा</u>

डॉ. प्रदीप कुमार सिंघल
चिकित्सक

दिन था 21 मार्च 2020, शाम को मालूम चला कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ी देर में ही देश के नाम संदेश जारी करेंगे। इस संदेश में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, इसलिए 22 मार्च 2020, दिन इतवार को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लागू होगा और इस दिन शाम को सब लोग थाली बजाकर राष्ट्र का संयुक्त रुप से कोरोना से लड़ने का संकल्प लेंगे।

चीन के वुहान से निकलकर पूरी दुनिया में मौत बांट रहे कोरोना के इस भस्मासुर जैसे रूप ने पूरे विश्व को भयभीत कर रखा है। 24 मार्च की रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हुआ जो विभिन्न चरणों में गुजरता हुआ 31 मार्च 2020 तक चला। इसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, असम, बिहार आदि में दोबारा लॉकडाउन का समय बढाया गया, क्योंकि अनलॉक के बाद कोरोना के मामलों में तीव्रता आई जिस कारण 20 जुलाई 2020 तक पूरे भारतवर्ष में यह संख्या 12 लाख के आसपास पहुंच गई और मृतकों की संख्या भी लगभग 30 हज़ार के करीब, जोकि दिसंबर में लगभग ९९ हजार पहुँच गई ओर मृतको की संख्या १.४३ लाख हो गई, लेकिन एक तथ्य ध्यान देने योग्य है कि भारत में कोरोना से कुल संक्रमित लोग एवं मृत्यु दर बाकी देशों से बहुत कम है। इसका सबसे अधिक श्रेय हमारे देश के पुलिस बल को भी दिया जा सकता है, जो अपनी जान की परवाह न कर दूसरों का सुरक्षा कवच बने हुए हैं और दिन रात काम करके कोरोना संक्रमण से बचने में लागू होने वाली सावधानियों को न केवल लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपितु उन्हें लागू करने के लिए बहुत ही संयम एवं अनुशासित तरीका अपना रहे हैं।

कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिसकर्मियों को लगातार काम करना पड़ रहा है। इसकी एक वजह कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को नियंत्रण करना है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को भी कायम रखना है। इसीलिए पुलिस कर्मियों का इस दौरान काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। पुलिस को यातायात को व्यवस्थित करने, लोग घरों से बेवजह ना निकले इस पर नियंत्रण करने, अगर घर से निकलें तो तरीके से मास्क लगा हो इसकी निगरानी करने और लोगों की जान बचाने

के लिए उनसे सामाजिक दूरी का पालन कराने जैसी कई जिम्मेदारियां पुलिस पर आ पड़ी हैं, जिनके बारे में पहले शायद ही किसी ने सोचा हो। इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्यों जैसे जरूरतमंद लोगों को भोजन, मास्क, सैनिटाइजर व अन्य जरूरत की वस्तुएं इत्यादि का वितरण करने जैसे काम भी पुलिस को करने पड़ रहे हैं। कोविड-19 मरीजों के अस्पताल जाने की व्यवस्था तथा कोरोना के संपर्क में आए लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर का इंतजाम करने का काम भी इस समय पुलिसकर्मियों को करना पड़ रहा है। इन जगहों पर कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी भी पुलिस की है। जेलों में जो कैदी हैं उनमें भी कोरोना का संक्रमण फैला है। उत्तर प्रदेश की जेलों में तकरीबन 104508 कैदी हैं, जिनमें से 207 कैदियों को कोरोना हुआ। उनकी देखभाल करने के लिए जेल की बैरक को एल-1 अस्पताल में बदला गया। इसकी देखभाल का पूरा दायित्व पुलिसकर्मियों पर ही था।

डॉ हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री एसएन श्रीवास्तव, कमिश्नर दिल्ली पुलिस एवं डॉ रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस ने 19 जुलाई 2020 को दिल्ली में प्लाज्मा बैंक के लिए प्लाज्मा दान करने का अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य लोगों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित करना था। 26 पुलिसकर्मियों ने, जिनमें एक महिला भी थी, प्लाज्मा दान किया और तकरीबन 650 पुलिसकर्मी आने वाले कुछ दिनों में प्लाज्मा दान करेंगे। डॉ संदीप गुलेरिया ने पुलिस के इस कदम की सराहना की और उन्हें सुपर कोरोना योद्धा की उपाधि दी जबकि डॉ हर्षवर्धन ने इन्हें प्लाज्मा योद्धा कहा।

इस संक्रमण की वजह से पुलिसकर्मियों का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। कोरोना के कारण मिली इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह करते हुए हजारों पुलिसकर्मियों ने अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाला है और वे कोरोना संक्रमित हुए हैं। सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मृत्यु भी हुई है।

कोरोना संक्रमण ने पुलिस का एक नया चेहरा एवं चरित्र भारतवासियों को दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं है। इस चरित्र में लोगों ने पुलिस को एक मसीहा के रूप में देखा जो दिन रात उनके न केवल स्वास्थ्य एवं रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहा है, वरन् उन्हें मनोवैज्ञानिक एवं भावोत्तेजक आश्रय व प्रोत्साहन भी दे रहा है। यह भारतीय सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। लोगों से पुलिस के इस तरह के स्वस्थ रिश्ते को और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा किसी भी तरह के राजनीतिक या अन्य दबाव से इसे हतोत्साहित न किया जाए। इससे भारतवर्ष में कानून-व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में बहुत सहायता मिलेगी। सरकार एवं समाज को यह देखना होगा कि यह सकारात्मक पहल न केवल कायम रहे वरन इसमें और सुधार हो जो भारतवर्ष की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दशा एवं दिशा को शक्ति देगा और भारतवर्ष को एक विकसित एवं प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

*****

International Day for Elimination of Violence Against Women

Central Detective Training Institute, Ghaziabad observed "International Day for Elimination of Violence Against Women" on 25.11.2020. On this occasion the Vice Principal Shri Virendra Kumar addressed the gathering and expressed his views regarding implementation of various laws and guidelines on women safety. Officers and staff also expressed their views on the subject and emphasized for elimination of violence against women.

आवाज विश्लेषण (वॉइस एनालिसिस) परीक्षण

डॉ. सुधीर कांत शर्मा, फारेंसिक विशेषज्ञ
केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाज़ियाबाद

संचार के क्षेत्र में विकास एवं साधनों की सर्वव्यापक उपलब्धता के कारण आपराधिक गतिविधियों में इनका उपयोग तेजी से बढ़ा है। विभिन्न आपराधिक प्रकरणों (यथा-रिश्वत माँगने संबंधी प्रकरण, अपहरण/धमकी देने/अश्लील वार्तालाप के प्रकरण आदि) में रिकार्डेड वार्तालाप एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रुप में भूमिका निभाता है। अभिलेखित (रिकार्डेड) वार्तालापों में वार्ताकारों की पहचान सुनिश्चित करना न केवल अन्वेषण वरन् अभियोजन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिकार्डेड वार्तालापों में वार्ताकारों की पहचान के निर्धारण हेतु आवाज विश्लेषण/परीक्षण (वॉइस एनालिसिस) की आवश्यकता होती है।

व्यक्ति के बोलने की प्रक्रिया में फेफड़ों से भेजी गई हवा गले में स्थित वोकल कॉर्ड में कंपन्न उत्पन्न करती है जिससे उत्पन्न ध्वनि मुख और नाक की गुहा (ओरल व नस़ल केविटी) से आवर्धित होकर जीभ, दाँत व होंठ की विभिन्न स्थितियों के आधार पर विशेष आवाज उत्पन्न करती है। इस प्रकार किसी व्यक्ति की आवाज के अभिलाक्षणिक आवाज उत्पन्न करने वाले अंगों की बनावट (एनाटोमी ऑफ वोकल आर्गन्स) पर निर्भर करते हैं तथा व्यक्ति की सामाजिक, शैक्षणिक आदि पृष्ठभूमि भी उसके वार्तालाप के अभिलाक्षणिकों को प्रभावित करती है।

आवाज विश्लेषण परीक्षण इस तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति विशेष की पहचान में आवाज एक अभिलाक्षणिक गुण-धर्म (बायोमीट्रिक) के रुप में उपयोग की जा सकती है। अतः किसी रिकार्डेड वार्तालाप के आवाज विश्लेषण/परीक्षण के आधार पर यह निर्धारित करना संभव है कि उसमें उपस्थित आवाज किसी व्यक्ति विशेष की ही है अथवा नहीं। इस हेतु परीक्षण रिकार्डेड वार्तालाप (साक्ष्य) के साथ ही संदेही व्यक्ति विशेष की आवाज की नमूना रिकॉर्डिंग एवं वार्तालाप का लेख (ट्रांसक्रिप्ट) परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की आवश्यकता होती है।

अन्वेषणकर्ता को सर्वप्रथम रेकॉर्डेड वार्तालाप (साक्ष्य) को सावधानीपूर्वक सुनकर वार्तालाप का शब्दशः लेख (ट्रांसक्रिप्ट) तैयार करना चाहिये। रेकॉर्डेड वार्तालाप/लेख (ट्रांसक्रिप्ट) में संदेही द्वारा कहे गये वाक्यों/शब्दों को ही संदेही की आवाज की नमूना रिकॉर्डिंग हेतु उपयोग किया जाना चाहिये। आवाज की नमूना रिकॉर्डिंग में शांत वातावरण व समुचित गुणवत्ता के रिकॉर्डर का उपयोग किया जाना चाहिये। अपेक्षित मीडिया, यथावत (कॉम्पेक्ट डिस्क) में रेकॉर्डेड वार्तालाप (साक्ष्य), संदेही व्यक्ति विशेष की आवाज की नमूना रिकॉर्डिंग सुरक्षित रुप से सीलबन्द कर वार्तालाप के लेख (ट्रांसक्रिप्ट) सहित परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना चाहिये। इस संबंध में आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न हैं।

वॉइस एनालिसिस परीक्षण हेतु दिशा-निर्देश-

1. (क) परीक्षण हेतु प्रदर्शों को निम्नानुसार प्रपत्रों सहित न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना चाहिये-

I. सक्षम अधिकारी (पुलिस अधीक्षक/अन्य वरिष्ठ अधिकारी) द्वारा हस्ताक्षरित मेमो जिसमें प्रकरण/साक्ष्य से संबंधित विवरण (एफ.आई.आर./जब्ती पत्रक आदि की अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित स्पष्ट पठनीय प्रतिलिपियों सहित) व चाहे गये अभिमत का स्पष्ट उल्लेख हो।

II. साक्ष्य के परीक्षण के लिये आवश्यक प्रक्रियाओं हेतु परीक्षणकर्ता को अधिकृत करने का प्रमाणपत्र।

III. प्रदर्शों को सीलबन्द करने में प्रयुक्त सील का स्याही व चपड़ा से बना अभिप्रमाणित स्पष्ट पठनीय नमूना। (चपड़ा से बने नमूने को सुरक्षित रखने हेतु पारदर्शी टेप का उपयोग अपेक्षित है।)

IV. रेकॉर्डेड वार्तालाप (साक्ष्य) तथा तदनुसार संदेही/संदेहियों की आवाज की नमूना रिकॉर्डिंग विधिवत संग्रहित कर परीक्षण हेतु सुरक्षित रुप से पृथक-पृथक सीलबन्द कर भेजी जाये।

V. साक्ष्य वार्तालाप तथा नमूना आवाज की रिकार्डिंग के लेख (ट्रांसक्रिप्ट/स्क्रिप्ट)

2. (ख) सर्वप्रथम रेकॉर्डेड वार्तालाप (साक्ष्य) की एक डिजिटल प्रतिलिपि विधिमान्य रुप से सुरक्षित कर लेनी चाहिये । रेकॉर्डेड वार्तालाप (साक्ष्य) को सावधानीपूर्वक सुनकर वार्तालाप का शब्दशः लेख (ट्रॉंसक्रिप्ट) तैयार करना चाहिये।

3 (ग) रिकार्डेड वार्तालाप/लेख (ट्रॉंसक्रिप्ट) से संदेही द्वारा कहे गये वाक्यों/शब्दों को चुनकर संदेही की आवाज की नमूना रिकॉर्डिंग हेतु पृथक लेख (नमूना हेतु स्क्रिप्ट) तैयार कर लेना चाहिये।

4 (घ) संदेही की आवाज की नमूना रिकॉर्डिंग हेतु उपरोक्त चयनित वाक्यों/शब्दों को ही उपयोग किया जाना चाहिये। वॉइस एनालिसिस परीक्षण की प्रक्रिया में प्रश्नांकित (साक्ष्य) वार्तालाप में

आरोपी द्‌वारा बोले गये शब्दों / वाक्यांशों की तुलना नमूना आवाज में संगत शब्दों /वाक्यांशों से की जाती है। अतः आरोपी द्‌वारा प्रश्नांकित (साक्ष्य) वार्तालाप में बोले गये शब्दों/वाक्यांशों को ही बोलकर (पढ़कर नहीं, आदर्श स्थिति में उसी प्रकार उच्चारण कर) आवाज नमूना प्राप्त किया जाना चाहिये। चयनित वाक्यों/शब्दों की रिकार्डिंग कम से कम दो या अधिक बार कर लेने से नमूने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

5 (ड) रेकॉर्डेड वार्तालाप (साक्ष्य) की डिजिटल प्रतिलिपि को बारम्बार सुनकर संदेही आवाज के सामान्य गुणधर्म यथासंभव समझ लेना चाहिये। इसी प्रकार संदेही से सामान्य वार्तालाप के द्‌वारा उसकी आवाज के सामान्य गुणधर्म यथासंभव समझ लेना चाहिये। इससे संदेही द्‌वारा आवाज का नमूना देते समय मौलिक आवाज को छुपाने का प्रयास किये जाने का संशय होने पर मौलिक आवाज का नमूना प्राप्त करने में मदद मिलती है।

6 (च) रिकॉर्डिंग हेतु शांत वातावरण व समुचित गुणवत्ता के डिजिटल रिकार्डर का उपयोग किया जाना चाहिये। रिकार्डिंग हेतु अनकम्प्रेस्ड फाइल फार्मेट का उपयोग किया जाना अपेक्षित है।

7 (छ) रिकॉर्डिंग से पूर्व रिकॉर्डिंग डिवाइस, बैटरी, मेमोरी कार्ड आदि को भलीभाँति चेक कर लेना चाहिये। रिकॉर्डिंग के दौरान मोबाईल फोन आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन्द कर लेना चाहिये।

8 (ज) रिकॉर्डिंग के पूर्ण हो जाने पर रेकॉर्डेड आवाज नमूना को सावधानीपूर्वक सुनकर भलीभाँति चेक कर लेना चाहिये व विधिसम्मत रुप से संग्रहित कर परीक्षण हेतु सुरक्षित कर लेना चाहिये।

9 (झ) परीक्षण हेतु भेजते समय साक्ष्य वार्तालाप व आवाज नमूना की रिकार्डिंग को पृथक-पृथक संग्रहित कर, एन्टी वायरस साफ्टवेयर से स्केन कर, सभी डिजिटल फाइलों की उपस्थिति को पुनः सुनिश्चित करके सुरक्षित रुप से सीलबन्द कर भेजा जाना चाहिये तथा इनकी एक डिजिटल प्रतिलिपि सुरक्षित कर रखना चाहिये।

10 (ञ) अन्वेषणकर्ता द्‌वारा उपरोक्त सभी चरणों में आवश्यकतानुसार विधिसम्मत कार्यवाही (पंचनामा आदि) सुनिश्चित करना चाहिये। रिकार्डिंग के प्रारंभ में दो गवाहों व स्वयं संदेही द्‌वारा विधिवत् स्वेच्छापूर्वक आवाज का नमूना प्रदान करने संबंधित कथनों को रिकार्ड करना चाहिये तथा कथनों की एक हस्ताक्षरित प्रति सुरक्षित रखनी चाहिये।

*****

Observance of World Environment Day

CDTI, Ghaziabad observed **"World Environment Day"** at its campus **on 5th June, 2020**. On this occasion, the saplings were planted in the office premises.

Observance of International day of Yoga

International day of Yoga on 21st June, 2020 was observed at CDTI, Ghaziabad.

Safety Measures during COVID – 19 Pandemic

CDTI, Ghaziabad conducted sanitizing and thermal screening keeping in view the safety of its staff during the time of COVID-19 pandemic.

Ladakh Police Online Training Programme

CDTI, Ghaziabad conducted Ladakh Police online training w.e.f 17 Aug – 16 Sept. 2020 which was inaugurated by **Shri V.S.K. Kaumudi** DG, BPR&D.

Interaction Session

Shri Ambar Kishor Jha, Director, CDTI, Ghaziabad interacting with the trainees of Ladakh Police Officers' Course.

Planting Saplings at the Campus

Shri Ambar Kishor Jha, Director, CDTI, Ghaziabad planting sapling of Pilkhan trees at CDTI, campus for green and clean environment as per directions issued by MHA.

Independence Day Celebration

Director CDTI, Ghaziabad hoisting National Flag on the eve of Independence Day on 15th Aug, 2020.

हिंदी पखवाड़ा व कार्यशाला का आयोजन

निदेशक के.गु.प्र. संस्थान गाजियाबाद द्वारा हिंदी पखवाड़ा दिनांक 14.09.2020 से 30.09.2020 के दौरान दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए

Police Commemoration Day Programme

Central Detective Training Institute, Ghaziabad observed Police Commemoration Day at its campus on 21.10.2020. **Shri Ambar Kishor Jha, IPS, Director** of the Institute paid homage to the martyrs by observing two minutes silence amidst the officers and staff.

A Pledge to Prevent Covid-19

To prevent from covid-19 the entire staff were pledged by
Shri Amabar Kishor Jha, IPS, Director CDTI, Ghaziabad
to take precautions about the corona pandemic.

Police Services Flag Day

Central Detective Training Institute, Ghaziabad observed Police Services Flag Day at its campus from 21.10.2020 to 31.10.2020. A Cultural programme was also organised at the campus by maintaining social distance due to covid -19.

निबंध व पोस्टर प्रतियोगिता

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देश के अनुसार केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाज़ियाबाद में दिनांक 11.11.2020 को 'पुलिस कार्मिकों की बालिकाओं के लिए आहार एवम् पोषण' विषय पर हिंदी/अंग्रेजी में निबंध प्रतियोगिता तथा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें इस संस्था के कार्मिकों तथा उनके बच्चों ने सक्रिय रूप से भाग लिया|

Vigilance Awareness Week 2020

Central Detective Training Institute, Ghaziabad observed **Vigilance Awareness Week 2020** at its campus from 27.10.2020 to 02.11.2020. Shri Ambar Kishor Jha, IPS, Director of the Institute administered the integrity pledge to all officers and staff. Besides series of programme during the week, on 2nd November, 2020 a workshop and debate competition on the subject **"Vigilance as an effective tool for promoting good governance"** was also organized at its campus. Officers and staff actively participated in the workshop/debate competition and disseminated their views on anti-corruption and vigilant India and emphasized their message for a prosperous India. The best speakers were also awarded commendation certificate by the Director of the Institute.

संविधान दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाज़ियाबाद ने दिनांक 26.11.2020 को संविधान दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया | संस्था के निदेशक, श्री अम्बर किशोर झा, भा.पु.से. ने इस अवसर पर भारत के संविधान की उद्देशिका को पढ़ कर समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुनाया और भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाये रखने के लिए शपथ दिलाई | इसके उपरांत 'महिलाओं के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों' पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया जिसमें संस्था के अधिकारियों व कार्मिकों ने अपने विचार व्यक्त किए | संगोष्ठी का उद्देश्य सभी कार्मिकों को उनके मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था |

<u>स्वच्छता शपथ व सफाई अभियान</u>

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान गाज़ियाबाद में दिनांक 01.12.2020 से 15.12.2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जिस क्रम में दिनांक 04.12.2020 को संस्था के निदेशक श्री अम्बर किशोर झा द्वारा सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को दो घंटे प्रतिदिन श्रम दान की स्वच्छता शपथ दिलाई गई | इसके उपरांत परिसर के आस-पास के क्षेत्र की सभी अधिकारियों एवं कार्मिको द्वारा सफाई की गई | स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान संस्थान में ऑनलाइन ट्रेनिंग के समय विभिन्न राज्यों से भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं को स्वच्छता संबंधित वीडियो फिल्म भी दिखाई गई, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना साथ ही सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था |

हिंदी कार्यशाला का आयोजन

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद में कोविड- 19 के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए दिनांक 07.12.2020 से 11.12.2020 तक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संस्था के उप-प्राचार्य श्री विरेन्द्र कुमार द्वारा किया गया| कार्यशाला में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के व्याख्याताओं द्वारा यूनिकोड से संबंधित जानकारी और अभ्यास सभी अधिकारियों और कार्मिकों को कराया गया, जिसमें सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया | इसके अतिरिक्त कार्यशाला में गूगल के माध्यम से अनुवाद हेतु जानकारी व अभ्यास, हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित वर्ष 2020-21 के दौरान वार्षिक कार्यक्रम की जानकारी, निर्धारित लक्ष्य व विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो की जानकारी दी गई साथ ही राजभाषा नीति, अधिनियम, नियम तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं टिप्पण-आलेखन का अभ्यास संस्थान के हिंदी प्रभारी अधिकारी श्री बीरेन्द्र कुमार द्वारा कराया गया |

मानवाधिकार दिवस का आयोजन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नेतृत्व में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद में कोविड- 19 के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए दिनांक 07.12.2020 से 11.12.2020 तक हिंदी कार्यशाला सम्पन्न हुई, इस दौरान मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्देश्य सभी को मानवाधिकारों के संरक्षण और नागरिकों के अधिकारों के सम्मान के प्रति जागरूक करना था | इस संगोष्ठी में सभी अधिकारियों व कार्मिकों ने मानवाधिकार विषय पर अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए | समारोह का समापन संस्था के निदेशक, श्री अम्बर किशोर झा, भा.पु.से. के द्वारा किया गया |

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाज़ियाबाद

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

सेक्टर-19, कमला नेहरू नगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201002

फैक्स/दूरभाषा : 0120-2986732

ईमेल – pplcdtsgzb@bprd.nic.in